# प्रेस विज्ञप्ति

**09.05.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स अग्निपाएनर्जो प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध प्रकरण में गुवाहाटी स्थित "शाइन टावर्स" में दो वाणिज्यिक परिसरों तथा "शाइन हेवन" परियोजना में दो फ्लैट एवं दो पेंटहाउस सहित कुल छह अचल संपत्तियों को, जिनका कुल अनुमानित मूल्य 6.56 करोड़ रुपये है, अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियाँ अनिल जैना, श्रीमती रूनू जैना तथा मेसर्स शाइन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर धारित हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), गुवाहाटी द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच प्रारंभ की। तत्पश्चात, सीबीआई ने उधारकर्ता कंपनी के तीन प्रवर्तक-निदेशकों, बैंक ऑफ इंडिया के तीन अधिकारियों तथा माध्यम इकाई मेसर्स शाइन मेकफैब जेवी के साझेदारों सहित नौ आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 17.10.2024 को आरोप पत्र संख्या 12/2024 दायर किया।

इस प्रकरण में, मेसर्स अग्निपाएनर्जो प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक-निदेशकों ने मेसर्स उर्च ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3.75 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को दर्शाने वाले कूटरचित दस्तावेज (सीएफएसएल द्वारा जिसके जाली होने की पुष्टि की गई) के साथ-साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का कभी वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं था, के द्वारा निर्गत प्रतिस्थापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर, फरवरी, 2013 में असम के बक्सा स्थित एक लघु जल विद्युत परियोजना हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 10.65 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया, तत्पश्चात, वर्ष 2013 से 2015 के मध्य 28 किश्तों में वितरित 9.33 करोड़ रुपये में से 8.67 करोड़ रुपये का व्यय परियोजना जो) लगभग70.54 प्रतिशत है कर स्थानांतरित को जेवी मेकफैब शाइन मेसर्स उपक्रम संयुक्त पक्ष संबंधित को ( रियल्टर्स शाइन मेसर्स संस्थाओं समूह आगे से वहां तथा गया दिया, मेसर्स कंबाइन एवं मेसर्स शाइन शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी स्वतंत्र व्यावसायिक आधार के स्थानांतरित किया गया, जिसमे वितरण के प्रथम ही दिन 75 लाख रुपये का स्थानांतरण जिससे) 52 लाख रुपये उसी दिन नकद निकाले गए(, संयुक्त उपक्रम से उधारकर्ता एवं बैंक को लगभग 1.43 करोड़ रुपये की प्रत्यावर्तीप्रवाह धनराशि परिपथीय/, तथा वर्ष 2015 में 1.01 करोड़ रुपये की चार ऐसी लेनथीं सम्मिलित भी प्रविष्टियां देन-, जिन्हें गैर परिसंपत्ति निष्पादित- को वर्गीकरण में रूप के (एनपीए) छिपाने हेतु उसी दिन ऋण खाते में पुनः जमा किया गया। साथ ही, मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक अप्रकटीकृत कर्नाटक बैंक खाते के माध्यम से भी लेनगए किए देन-, परिणामस्वरूप, बैंक ऑफ इंडिया को 8.76 करोड़ रुपये की अवैध हानि हुई, जिसे पीएमएलए के अंतर्गत अपराध से अर्जित आय के रूप में परिमाणित किया गया है।

आगे की जांच जारी है।